न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	01/2025
दायर दिनांक	:	10.01.2025
निर्णय दिनांक	:	17.01.2025

1. छोटीलाल पुत्र सेडूराम जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. जगदीश पुत्र सेडूराम जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. जयराम पुत्र सेडूराम जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. प्रभू पुत्र मंगल्या जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. मूली पत्नी स्व॰ सेडूराम जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज
2. तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा के रहने वाले हैं। ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज जिला दौसा में भूमि खसरा नम्बर 1093, 1094, 1095, 1103, 1104, 1119, 1120 कुल किता 7 कुल रकबा 1.14 है॰ स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के तन्हा खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं एवं मौके पर काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात से लगती हुई पडौसी खातेदारान की खातेदारी भूमि है, जो अपनी खातेदारी भूमि की आड में प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहते हैं, जिसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पडौसी खातेदार द्वारा अपने इन्हीं कलुषित उद्देश्यों की पूर्ति में दिनांक 02.01.2026 को प्रार्थी की आराजी में जबरन घुसकर भूमि को दबाने का प्रयास किया जिसकी सूचना प्रार्थीगण को मिलने पर प्रार्थीगण मौके पर पहुँचे व उन्हें समझाकर बडी मुश्किल से रोका किन्तु वे लगातार यह धमकी दे रहे हैं कि वे मौका मिलते ही प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी को दबाकर कब्जा करके रहेंगे। यदि अविलम्ब ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नहीं करवायी गयी तो मौके पर शान्ति भंग होकर भारी झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

मौके पर टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के अनुसार भूमि की पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण कीं ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार भाण्डारेज के जवाब अनुसार प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने का कथन किया है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी किये जाने में तहसीलदार भाण्डारेज ने कोई आपत्ति होना नहीं जताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1093, 1094, 1095, 1103, 1104, 1119, 1120 कुल किता 7 कुल रकबा 1.14 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested